बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं0–9 / विविध–13–01 / 2025(स्वा0) .... / पटना, दिनांकः–.................................

डॉ० रूपा कुमारी भारती, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, हाजीपुर, वैशाली द्वारा आवेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि विभागीय अधिसूचना सं०–1190(2) दिनांक–02.09.2021 के द्वारा सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, हाजीपुर, वैशाली के पद पर नियुक्ति हुई थी। जिसके अनुपालन में सिविल सर्जन, वैशाली के समक्ष योगदान समर्पित करते हुए उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, वैशाली से दिनांक–06.09.2021 को प्रभार ग्रहण कर सेवा प्रारंभ कर दी गयी। दिनांक–31.07.2022 तक कार्य की थी। अस्वस्थ होने के कारण अवकाश संबंधी आवेदन समर्पित कर दिनांक–01.08 2022 से ईलाज करवाने लगी। जिस कारण वे अपनी सेवा विभाग को नहीं दे पायी और अबतक अनुपस्थित है। अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर सदर अस्पताल, वैशाली में दायित्वों का निर्वहन करना चाहती है। दिनांक–13.02.2025 को स्वस्थ्य होने के उपरान्त पूर्व पदस्थापित स्थान पर योगदान कराने हेतु अनुरोध की गयी है।

2. डॉ० रूपा कुमारी भारती द्वारा योगदान करने हेतु किये गये अनुरोध के समीक्षोपरांत डॉ० रूपा कुमारी भारती के आवेदन को स्वीकार करते हुए पूर्व पदस्थापित स्थान पर योगदान कराने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, वैशाली को निदेशित किया जाता है कि डॉ० रूपा कुमारी भारती को निर्गत आदेश के आलोक में योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कराया जाय। डॉ० रूपा कुमारी भारती का योगदान करने की सूचना अविलंब विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ० रूपा कुमारी भारती, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, हाजीपुर, वैशाली के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए विहित प्रपत्र मे आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9 / विविध–13–01 / 2025(स्वा0) 370(9) / **पटना, दिनांकः–** 25.4.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर / सिविल सर्जन, वैशाली को निदेशित किया जाता है कि डॉ० रूपा कुमारी भारती के कर्त्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन के साथ विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः–डॉ० रूपा कुमारी भारती, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, हाजीपुर, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना / अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग / प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

25/04/2025

सरकार के अवर सचिव।